मगन सिंह बनाम राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु०नं०-249/17	
21-11-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. ..../अन्य काय म व्यस्त/ मीटिंग म है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-2-18 को पेश हो। Vimla	
16.2.18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. ..../अन्य काय म व्यस्त/ मीटिंग म है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5-3-18 ... को पेश हो। Vimla	
5-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. ..../अन्य काय म व्यस्त/ मीटिंग म है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-3-18 को पेश हो। Vimla	
30-4-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष—2018 श्रीमान सयुक्त शासन ... क्रमांक प.12 (15) ... (ग्रुप-1) विभाग जयपुर ... को पालना ए ... निदेशों के ... 16-3-18 से तलब होकर ... सुनवाई हेतु रखी जाती है ... में पत्रावली लोक अदालत ... अटल सेवा केन्द्र हरदास का बास में दिनांक 9-5-18 ... अदालत/कैम्प कोर्ट ... को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। G	
09.05.2018	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान—2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प— हरदास का बास में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण दिनांक 19.02.2016 से अन्तिम बहस हेतु नियत है। अतः पत्रावली के बहस में विचाराधीन होने से पत्रावली का मेरिट के आधार पर निर्णय निम्न प्रकार से हैः— प्रार्थीगण मगनसिंह पुत्र भॅवरसिंह व देवीसिंह पुत्र प्रभूसिंह राजपूत निवासी हरदास का बास ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत G	

Scanned by CamScanner

मगन सिंह बनाम राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म कि हुक्म में जा
	दावा मु०नं० - 249/17	
	भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 0.81 हैक्टर, 202 रकबा 1.94 हैक्टर, 250 रकबा 0.31 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदास का बास जिसके पुराने खसरा नम्बर 88 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, 108 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 87/1576 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा थे। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में सवाईसिंह के नाम व फिर शिवपालसिंह पुत्र सवाईसिंह व भवॅर सिंह वल्द हरनाथ सिंह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि प्रार्थीगण व तरतीबी पक्षकार के पूर्वज सवाई सिंह की कृषि भूमियॉ थी। प्रथम सैटलमेन्ट से पूर्व ही जागीरदार सवाईसिंह की कृषि भूमियॉ रही है व उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके चारों पुत्रों मूलसिंह, हरबक्ससिंह, हरनाथसिंह व शिवलालसिंह के कब्जाकाश्त में प्रत्येक के 1/4–1/4 हिस्सा में आ गई किन्तु मूलसिंह व उसकी पत्नि लाल कॅवर के नाऔलाद फौत हो जाने से व हरबक्ससिंह के अविवाहित फौत हो जाने से उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा की खातेदारी हरनाथसिंह व भॅवरसिंह पुत्र हरनाथसिंह के व 1/2 हिस्सा की शिवलालसिंह पुत्र सवाईसिंह के नाम सम्वत् 2019 से 2022 में अंकित हो गई। शिवलालसिंह की पत्नि हंसा कॅवर का स्वर्गवास हो जाने से शिवलालसिंह के पास एक गौरादेवी नाम की दासी आकर रहने लग गई जिसके एक लड़का नारायणसिंह गेलड़ पुत्र के रूप में साथ आया था तथा सामाजिक रीति रिवाज का उल्लघंन कर उक्त दासी गौरा देवी को रखेल रख लेने से शिवलालसिंह को उसके परिवारजन से सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया और गौरादेवी के पुत्र नारायणसिंह ने कौशल्या देवी नाम की औरत से शादी की ली जिससे मालीदेवी एक पुत्री उत्पन्न हुई जो वर्तमान में अप्रार्थी न. 4 होकर वर्षो से अपने ससुराल मण्ढ़ा कोटपूतली मे रह रही है। नारायणसिंह की माता जो दासी थी के एक पुत्र प्रहलादसिंह व पुत्री प्रभाती उत्पन्न हुए थे जिनमें प्रहलादसिंह पहले सेना में नौकरी करता था भगोड़ा घोषित हो जाने के कारण वर्ष 1967 से लापता है। जिसकी कभी कोई शादी नहीं हुई किन्तु लोगों ने उक्त प्रहलादसिंह के लापता हो जाने के बाद चालाकी व बदनियति से नारायणसिंह की पत्नि कौशल्या जो अपनी पुत्री माली के पास रहती थी। प्रहलादसिंह के स्थान पर उसके नाम अंकित भूमि का नामान्तकरण नारायणसिंह की पत्नि कौशल्या के नाम अंकित करवा दिया और कौशल्यादेवी को	

Gh

मगन सिंह बनाम राज० सरकार

...व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
6/4/	मु०न० – 249/17	

बजाय प्रहलादसिंह की पत्नि बता दिया जबकि प्रहलादसिंह की कभी शादी नहीं हुई। कौशल्या की मृत्यु 20 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री के ससुराल में हो चुकी है क्योंकि वह पिछले 35 वर्षो से वह अपनी पुत्री माली के पास ही रह रही थी। स्वंय प्रहलादसिंह द्वारा दिनांक 29.7.1991 को इस बाबत लिखकर दिया कि उसके कोई पत्नि नहीं है।

विवादग्रस्त आराजियात् में 1/2 हिस्सा प्रभूसिंह के वारिसान व 1/2 हिस्सा भॅवरसिंह के वारिसान के कब्जे में है। मालीदेवी गलत खातेदारी की आड़ में अपने नाम विरासतन् खातेदारी जरिये नामान्तकरण दर्ज करवाकर बेचना चाहती है। जिसकी जानकारी होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। ग्राम पंचायत हाथीदेह के सरपंच द्वारा दिनांक 23.04.1986 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी प्रहलादसिंह शिवलाल सिंह का वारिस नहीं रहा है न ही काश्त की है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 39 नोट दिनांक 12.06.1967 अनुसार शिवलालसिंह के बजाय प्रहलादसिंह का नामान्तकरण दर्ज किया जो गैर कानूनी है क्योंकि प्रहलादसिंह मात्र एक दासी पुत्र था। प्रचलित रीति रिवाज अनुसार दासी पुत्र को कोई खातेदारी विरासत में प्राप्त नहीं होती थी। प्रहलादसिंह के बजाय कौशल्या किस प्रकार दर्ज हुआ। यह स्पष्ट नहीं है। विपरित कब्जे के आधार पर भी 1/2 हिस्से पर प्रार्थी नम्बर 1 व तरतीबी पक्षकार 4 ता 7, 1/2 हिस्से पर प्रार्थी सं. 2 व तरतीबी पक्षकार 9 ता 10 बराबर काबिज काश्त है। सजरा खानदान के अतिरिक्त लम्बे समय से विपरित कब्जे के आधार पर भी प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण को दिनांक 24.05.13 को नकल प्राप्त करने पर मालीदेवी द्वारा विरासत के नामान्तकरण के आधार पर कार्यवाही कराने की जानकारी मिली। अतः नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे अन्दर मियाद माना जावें। यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर नामान्तकरण कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करने तथा अप्रार्थी सं. 4 को उक्त भूमि का

Sh-

Scanned by CamScanner

मगनसिंह बनाम राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु०न० - 249/17
	बैचान नहीं करने बाबत पाबन्द किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण ने किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 201, 202, 250 कुल किता 3 कुल रकबा 3.06 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थीया संख्या 4 की माता के नाम दर्ज है। प्रहलादसिंह शिवपालसिंह का जायन्दा पुत्र था तथा कौशल्या देवी उसकी पत्नि थी। जिसके देहावसान पर अप्रार्थी सं. 4 मालीदेवी मृत्तक माता के नाम अपनी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराना चाहती है जिसकी वह कानूनी हकदार है एंव इसी अनुसार मालीदेवी काबिज है। मद नम्बर 3 को अस्वीकार किया व प्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं होना बताया। मद संख्या 4 को अस्वीकार कर मालीदेवी ने कथन किया कि वह कोटपूतली निवास करती है। जिस कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि को बलात् कब्जा करने पर आमादा है। आधारहीन तथ्यों पर होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रहलाद सिंह अप्रार्थीया का पिता था। उसके भगोड़ा होने का तथ्य बेबुनियाद है। उसे 1967 से लापता होना बता रहे है जबकि 1991 में प्रहलादसिंह द्वारा लिखकर देना बता रहे है। जो अपने आप में झूठ साबित है। मद संख्या 6, 7 व 8 अस्वीकार की व बताया कि प्रार्थीगण प्रतिवादिया संख्या 4 की विरासत की कार्यवाही रूकवाने के लिए गलत रूप से वादपत्र प्रस्तुत कर रहे है। शेष मदों को अस्वीकार कर मालीदेवी ने कथन किया कि प्रहलाहसिंह की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तकरण कौशल्या देवी के पक्ष में दर्ज किया गया उसकी अपील प्रार्थीगण के द्वारा नहीं की गई है परन्तु अप्रार्थीया को हैरान करने उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने हेतु गलत रूप से तथ्य अंकित कर न्यायालय को मुगालता देकर बेबुनियाद एंव आधारहीन तथ्यों पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जारी किया गया है। जो पोषणीय नहीं है। अतः इसे अस्वीकार कर खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया है। Sd/-

Scanned by CamScanner

भगनसिंह बेनाम राज० सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दवा सुधा० - 245/17

इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, जवाब अप्रार्थी संख्या 4 व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् अनुसार मामला —

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः—** रिकार्ड में अंकित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 201, 202, 250 कुल किता 3 कुल रकबा 3.06 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थीया संख्या 4 की माता कौशल्या देवी के नाम दर्ज है। उसके नामान्तकरण सम्बन्धी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने एंव उसको विधिक वारिस प्रार्थीगणों द्वारा नहीं बताने से सम्बन्धित है। उक्त मुतनाजा आराजियात् कौशल्यादेवी के नाम खातेदारी जिस नामान्तकरण के आधार पर दर्ज रिकार्ड हुई है। उसकी प्रार्थीगण द्वारा अपील किया जाना रिकार्ड पर प्रकट नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा इसकी जानकारी 24.05.2013 को होना बताया है। तत्पश्चात् प्रहलादसिह के नाम 1967 से विरासतन् खातेदारी के सम्बन्ध में अपील न करना, प्रहलादसिंह को दासी पुत्र बताकर उसके अधिकार सृजित नहीं होना, कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी अधिकार चाहे जा रहे है। रिकार्ड पर दर्ज खातेदारी की अपील न कर अन्य आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा जा रहा है। इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टवा प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** मुतनाजा आराजियात् अप्रार्थी संख्या 4 की माता कौशल्या देवी के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। वर्तमान में खातेदारी कौशल्या देवी के नाम दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण फिस्कल प्रोसेडिंग है। इससे हक तय नहीं होते है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो असुविधा प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी संख्या 4 मालीदेवी को ही अधिक होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध पाया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षति का सिद्धान्तः—** अप्रार्थी संख्या 4 मालीदेवी अपनी माता कौशल्या देवी के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि का नामान्तकरण अपने पक्ष में करवाना चाहती है। कौशल्यादेवी के नाम दर्ज नामान्तकरण को विधिक रूप से सक्षम न्यायालय मे चुनौती देना/अपील करना रिकार्ड पर प्रकट नहीं है। अप्रार्थीगण कब्जे के आधार पर खातेदारी चाह रहे है। अप्रार्थीया को विधिक हक से रोका जाता है तो प्रार्थीगण के बजाय क्षति अधिक होगी। जिसकी पूर्ति

Gm

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

भगवानसिंह बनाम राजस्थान सरकार

केस्म मुकदमा दावा नं. 249 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। **आदेश** मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाने से विवादित आराजियात् खसरा नम्बर 201, 202, 250 कुल किता 3 रकबा 3.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदास का बास के सम्बन्ध में जारी अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.05.2013 निरस्त की जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को आयोजित न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्पः– हरदास का बास में मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (ब्रहम लाल जाट) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– हरदास का बास

Scanned by CamScanner